कपड़ा मंत्रालय

मांग संख्या 78

कपड़ा मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2001-2002			संशोधित 2001-2002			बजट 2002-2003		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		631.95	167.40	799.35	590.40	186.56	776.96	699.37	285.95	985.32
पूंजी		*18.05*	*492.15*	*510.20*	*19.60*	*629.77*	*649.37*	*15.63*	*584.55*	*600.18*
जोड़		**650.00**	**659.55**	**1309.55**	**610.00**	**816.33**	**1426.33**	**715.00**	**870.50**	**1585.50**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	1.00	6.00	7.00	1.00	6.00	7.00	1.00	6.75	7.75
ग्राम और लघु उद्योग										
हथकरधा उद्योग										
2. हथकरधा संबंधी आर्थिक सहायता										
2.01 हथकरधा कपड़े पर विशेष छूट	3601	...	19.00	19.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00
2.02 जनता कपड़े पर आर्थिक सहायता	3601	...	1.00	1.00	...	0.10	0.10	...	0.50	0.50
2.03 अन्य	2851	...	1.00	1.00	...	0.85	0.85	...	0.50	0.50
	जोड़	*...*	*21.00*	*21.00*	*...*	*10.95*	*10.95*	*...*	*11.00*	*11.00*
3. हथकरधों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें										
3.01 हथकरघा बुनकरों के लिए वर्कशेड सह-आवास योजना को अनुदान	3601	9.00	...	9.00	6.50	...	6.50	7.00	...	7.00
3.02 हथकरधा बुनकर कल्याण योजना के लिए सहायता	3601	5.00	...	5.00	4.00	...	4.00	5.00	...	5.00
3.03 दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना	3601	66.00	...	66.00	48.55	...	48.55	65.00	...	65.00
	2851	...	...	...	2.10	...	2.10	3.10	...	3.10
	3602	...	...	...	0.35	...	0.35	0.20	...	0.20
	जोड़	*66.00*	*...*	*66.00*	*51.00*	*...*	*51.00*	*68.30*	*...*	*68.30*
3.04 अन्य	3601	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	...	...	...
	7601	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	1.70	...	1.70
	जोड़	*4.00*	*...*	*4.00*	*4.00*	*...*	*4.00*	*1.70*	*...*	*1.70*
	जोड़	***84.00***	***...***	***84.00***	***65.50***	***...***	***65.50***	***82.00***	***...***	***82.00***
4. अन्य हथकरधा योजनाएं										
4.01 गहन विकास परियोजना एवं निर्यात संवर्धन की योजना	2851	6.25	...	6.25	6.25	...	6.25	...	...	...
4.02 विपणन परिसर की स्थापना एवं सूत अधिप्राप्ति के लिए सहायता	2851	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	...	...	...
4.03 बुनकर सेवा केन्द्र	2851	2.10	14.00	16.10	2.10	14.06	16.16	...	15.30	15.30
4.04 हथकरधा निर्यात उन्नयन योजना	2851	5.00	...	5.00	3.50	...	3.50	5.00	...	5.00
4.05 मिल प्रवेश द्वार मूल्य योजना	2851	...	...	...	...	...	...	8.00	...	8.00
4.06 विपणन संवर्धन कार्यक्रम	2851	...	...	...	...	...	...	7.00	...	7.00
4.07 डिजाइन विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम	2851	...	...	...	...	...	...	8.60	...	8.60
	4851	...	...	...	...	...	...	4.40	...	4.40
	जोड़	...	...	...	...	...	...	13.00	...	13.00
4.08 अन्य	2851	6.10	5.00	11.10	5.87	5.16	11.03	...	9.52	9.52
	3601	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
	3602	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.01	0.01
	4851	5.55	...	5.55	5.55	...	5.55	...	...	...
	जोड़	*11.65*	*5.50*	*17.15*	*11.42*	*5.66*	*17.08*	*2.00*	*9.53*	*11.53*
जोड़-हथकरधा उद्योग		**116.00**	**40.50**	**156.50**	**95.77**	**30.67**	**126.44**	**117.00**	**35.83**	**152.83**
हथकरधा उद्योग										
5. अन्य हस्तशिल्प योजनाएं										
5.01 प्रशिक्षण एवं विस्तार	2851	25.42	3.00	28.42	29.42	3.60	33.02	16.92	3.90	20.82
5.02 डिजाइन एवं तकनीकी उन्नयन	2851	4.39	2.50	6.89	4.49	2.75	7.24	22.00	3.28	25.28
5.03 बाबा साहब अंबेडकर हस्तशिल्प योजना	2851	...	...	...	...	...	...	8.30	...	8.30
5.04 निर्यात संवर्धन	2851	...	...	...	...	...	...	7.00	...	7.00
5.05 विपणन सहायता और सेवाएं	2851	...	...	...	...	...	...	10.35	...	10.35
5.06 अन्य	2851	30.19	9.20	39.39	26.32	9.00	35.32	2.00	10.03	12.03
	4851	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	5.20	...	5.20
	जोड़	*64.00*	*14.70*	*78.70*	*64.23*	*15.35*	*79.58*	*71.77*	*17.21*	*88.98*

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2001-2002			संशोधित 2001-2002			बजट 2002-2003		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
ऊन उद्योग										
6. ऊन विकास बोर्ड	2851	5.00	...	5.00	4.00	...	4.00	5.26	0.74	6.00
रेशम उत्पादन										
7. केन्द्रीय रेशम बोर्ड	2851	70.20	19.00	89.20	70.20	19.65	89.85	71.41	55.11	126.52
8. अन्य रेशम कीटपालन उद्योग योजनाएं	2851	1.05	1.50	2.55	1.05	1.60	2.65	1.30	2.66	3.96
जोड़-रेशम कीटपालन उद्योग		**71.25**	**20.50**	**91.75**	**71.25**	**21.25**	**92.50**	**72.71**	**57.77**	**130.48**
विद्युतकरघा उद्योग										
9. अन्य विद्युतकरघा योजनाएं	2851	5.74	1.10	6.84	4.78	1.10	5.88	10.50	1.20	11.70
	3601	0.26	...	0.26	0.22	...	0.22	1.50	...	1.50
	जोड़	*6.00*	*1.10*	*7.10*	*5.00*	*1.10*	*6.10*	*12.00*	*1.20*	*13.20*
जोड़-ग्राम और लघु उद्योग		262.25	76.80	339.05	240.25	68.37	308.62	278.74	112.75	391.49
उपभोक्ता उद्योग										
10. उपकर संग्रहण के एवज में अदायगी										
10.01 वस्त्रोद्योग	2852	...	17.00	17.00	...	18.00	18.00	...	20.00	20.00
10.02 जूट	2852	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	26.57	26.57
	जोड़	*...*	*37.00*	*37.00*	*...*	*38.00*	*38.00*	*...*	*46.57*	*46.57*
11. वस्त्र आयुक्त	2852	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	11.00	11.00
12. वस्त्रोद्योग के विकास के लिए अन्य कार्यक्रम										
12.01 फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान को अनुदान	2852	21.00	5.00	26.00	21.00	14.50	35.50	8.00	6.00	14.00
12.02 अनुसंधान एवं विकास	2852	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	1.00	...	1.00
12.03 वस्त्रोद्योग श्रमिक पुनर्वास योजना	2852	...	18.83	18.83	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00
12.04 अध्ययनों के लिए अनुदान	3453	1.00	...	1.00	3.00	...	3.00	2.00	...	2.00
12.05 वस्त्रोद्योग आधुनिकीकरण तथा तकनीकी उन्नयन	2852	200.00	...	200.00	190.00	...	190.00	250.00	...	250.00
12.06 कपास प्रौद्योगिकी मिशन	2852	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	30.00	...	30.00
12.07 परिधान/वस्त्रोद्योग पार्क योजना	3601	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	14.50	...	14.50
12.08 वस्त्रोद्योग अभिवृद्धि केन्द्रों की आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन हेतु योजना	3601	15.00	...	15.00	10.00	...	10.00	15.00	...	15.00
12.09 मूल्य सहायता के अधीन भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की अधिप्राप्ति	2852	...	...	...	...	10.00	10.00	...	15.00	15.00
12.10 ईएमडी/बीजी की जब्त राशि के एवज में एईपीसी को अनुदान	2852	...	...	...	...	...	...	...	12.00	12.00
12.11 अन्य	2852	4.90	5.00	9.90	4.90	6.07	10.97	9.45	6.01	15.46
	जोड़	*288.90*	*28.83*	*317.73*	*275.90*	*55.57*	*331.47*	*329.95*	*64.01*	*393.96*
13. जूट आयुक्त	2852	...	1.70	1.70	...	1.56	1.56	...	1.70	1.70
14. जूट-विकास आदि के लिए अन्य कार्यक्रम										
14.01 राष्ट्रीय जूट विविधीकरण केन्द्र के लिए अनुदान	2852	3.08	...	3.08	2.58	...	2.58	5.06	...	5.06
14.02 विशेष जूट विकास निधि	2852	5.00	...	5.00	0.50	...	0.50	5.00	...	5.00
14.03 बाजार प्रचालन के लिए भारतीय जूट निगम को आर्थिक सहायता	2852	...	...	...	...	...	...	...	35.00	35.00
14.04 ऋण की सब्सिडी में परिवर्तित करने के लिए मूल्य सहायता प्रचालन में हुई हानियों के लिए भारतीय जूट निगम को आर्थिक सहायता	2852	...	...	...	...	...	...	...	1.00	1.00
14.05 अन्य	2852	2.05	7.07	9.12	2.05	7.06	9.11	6.22	7.17	13.39
	जोड़	*10.13*	*7.07*	*17.20*	*5.13*	*7.06*	*12.19*	*16.28*	*43.17*	*59.45*
15. जूट विकास निधि-अन्तरण										
को	2852	5.00	...	5.00	0.50	...	0.50	4.00	...	4.00
से	2852	-5.00	...	-5.00	-0.50	...	-0.50	-4.00	...	-4.00
निवल		...	...	...	...	...	...	...	...	...
16. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को अनुदान										
16.01 राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड	2852	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	22.00	...	22.00
16.02 ब्रिटिश इंडिया निगम लिमिटेड	2852	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
16.03 भारतीय जूट निगम लिमिटेड	2852	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00

(करोड़ रुपए)

		बजट 2001-2002			संशोधित 2001-2002			बजट 2002-2003		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
16.04 राष्ट्रीय जूट विनिर्माता कारपोरेशन लिमिटेड	2852	6.00	...	6.00	...	...	...	...	...	...
16.05 भारतीय कपास निगम लिमिटेड	2852	...	...	...	6.00	...	6.00	5.00	...	5.00
	जोड़	*30.00*	*...*	*30.00*	*30.00*	*...*	*30.00*	*30.00*	*...*	*30.00*
जोड़-उपभोक्ता उद्योग		**329.03**	**84.60**	**413.63**	**311.03**	**112.19**	**423.22**	**376.23**	**166.45**	**542.68**
नागरिक पूर्ति										
17. सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण										
17.01 राष्ट्रीय कपड़ा निगम	6860	...	280.00	280.00	...	385.00	385.00	...	330.00	330.00
17.02 ब्रिटिश इंडिया निगम	6860	...	12.80	12.80	...	17.60	17.60	...	63.20	63.20
17.03 राष्ट्रीय जूट विनिर्माता निगम	6860	...	64.00	64.00	...	88.00	88.00	...	64.00	64.00
17.04 एल्गिन मिल्स	6860	...	...	...	...	69.84	69.84	...	...	...
17.05 कानपुर कपड़ा मिल	6860	...	...	...	...	33.98	33.98	...	...	...
17.06 बर्ड जूट एण्ड एक्सपोर्ट लिमिटेड	6860	...	0.35	0.35	...	0.35	0.35	...	0.35	0.35
17.07 भारतीय जूट निगम लिमिटेड	6860	...	35.00	35.00	...	35.00	35.00	...	...	...
17.08 सीमांत लाभों के निपटारे के लिए एकमुश्त प्रावधान	6860	...	100.00	100.00	...	...	...	...	100.00	100.00
	जोड़	*...*	*492.15*	*492.15*	*...*	*629.77*	*629.77*	*...*	*557.55*	*557.55*
18. सरकारी उद्यमों में निवेश	4851	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50	2.43	...	2.43
	4860	...	...	...	...	...	...	...	27.00	27.00
	जोड़	*4.50*	*...*	*4.50*	*4.50*	*...*	*4.50*	*2.43*	*27.00*	*29.43*
19. सीसीएफ-I के अधीन यूएनडीपी सहायता										
19.01 हस्तशिल्प उद्योग	2851	3.50	...	3.50	2.76	...	2.76	5.33	...	5.33
19.02 ऊन उद्योग	2851	3.00	...	3.00	2.15	...	2.15	2.74	...	2.74
19.03 रेशम कीटपालन उद्योग	2851	2.80	...	2.80	4.58	...	4.58	1.09	...	1.09
19.04 जूट उद्योग	2852	1.92	...	1.92	1.73	...	1.73	0.44	...	0.44
	जोड़	*11.22*	*...*	*11.22*	*11.22*	*...*	*11.22*	*9.60*	*...*	*9.60*
20. उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए एकमुश्त प्रावधान										
हथकरघा	7601	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	2552	19.00	...	19.00	19.00	...	19.00	21.00	...	21.00
	जोड़	*20.00*	*...*	*20.00*	*20.00*	*...*	*20.00*	*22.00*	*...*	*22.00*
हस्तशिल्प	4851	...	...	...	1.55	...	1.55	0.90	...	0.90
	2552	8.00	...	8.00	6.45	...	6.45	8.60	...	8.60
	जोड़	*8.00*	*...*	*8.00*	*8.00*	*...*	*8.00*	*9.50*	*...*	*9.50*
रेशम कीटपालन	2552	14.00	...	14.00	14.00	...	14.00	15.00	...	15.00
जूट	2552	...	...	...	...	...	...	0.50	...	0.50
	जोड़	*42.00*	*...*	*42.00*	*42.00*	*...*	*42.00*	*47.00*	*...*	*47.00*
कुल जोड़		***650.00***	***659.55***	***1309.55***	***610.00***	***816.33***	***1426.33***	***715.00***	***870.50***	***1585.50***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
18.01 राष्ट्रीय कपड़ा निगम	12860	...	...	...	...	...	...	27.01	...	27.01
18.02 ब्रिटिश इंडिया निगम	12860	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
18.03 राष्ट्रीय जूट विनिर्माता निगम	12860	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
18.04 राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान	12860	...	15.00	15.00	...	14.65	14.65	...	21.00	21.00
18.05 राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम	12860	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
18.06 राज्य हथकरघा निगम/सोसायटियां	12860	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	1.40	...	1.40
18.07 हथकरघा और हस्तशिल्प निर्यात निगम	12860	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	...	...	...
जोड़		**4.50**	**15.00**	**19.50**	**4.50**	**14.65**	**19.15**	**29.43**	**21.00**	**50.43**
ग. आयोजना परिव्यय:-										
1. ग्राम और लघु उद्योग	12851	277.97	...	277.97	255.97	...	255.97	290.77	...	290.77
2. उपभोक्ता उद्योग	12860	329.03	15.00	344.03	311.03	14.65	325.68	376.23	21.00	397.23
3. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	13451	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
4. उत्तर पूर्वी क्षेत्र	22552	42.00	...	42.00	42.00	...	42.00	47.00	...	47.00
जोड़		**650.00**	**15.00**	**665.00**	**610.00**	**14.65**	**624.65**	**715.00**	**21.00**	**736.00**

1. **सचिवालय** : इसमें मंत्रालय के सचिवालय व्यय और वेतन एवं लेखा कार्यालय संगठन के लिए व्यवस्था है।

ग्राम और लघु उद्योग :

हथकरघा उद्योग :

*2. **हथकरघा संबंधी आर्थिक सहायता** :*

2.01. ***हथकरघा कपड़े पर विशेष छूट*** : विशेष छूट की योजना के एक विकल्प के रूप में एक बाजार विकास सहायता योजना तैयार की गई है और दिनांक 1.4.89 से इसे कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत, संगठन के कार्यनिष्पादन से संबद्ध हथकरघा क्षेत्र को सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना 1.4.2000 से समाप्त कर दी गई है। तथापि 31.3.2000 तक की अवधि से संबंधित पिछले दावों को निपटाने की लिए बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

2.02. ***जनता वस्त्र पर आर्थिक सहायता*** : 1976 से शुरू की गई जनता वस्त्र योजना 1.4.1998 से बंद कर दी गई है। यह प्रावधान कुछ बचे हुए दावों की पूर्ति के लिए किया गया है, जिन्हें शीघ्र निपटाए जाने की संभावना है।

2.03. ***अन्य*** : इसमें हथकरघा वस्त्र पर छूट; विशेष छूट/ एम.डी.ए; हथकरघा वस्त्र आदि पर छूट के लिए उत्तर-पूर्वी हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम/अखिल भारतीय हथकरघा फ्रैब्रिक विपणन सहकारी सोसायटी लि. को अदायगी के लिए व्यवस्था की गई है।

3. ***हथकरधा क्षेत्र में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं*** : इसमें हथकरघा बुनकरों को करघों की खरीद/आधुनिकीकरण/नवीकरण के लिए अनुदानों की व्यवस्था की गई है। अन्य योजनाएं निम्न प्रकार है :-

(i) कार्य शेड एवं आवास स्कीमों हेतु अनुदान;

(ii) बुनकर कल्याण योजना;

(iii) दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना।

4. **अन्य हथकरधा योजनाएं** : इसमें हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, अनुसंधान और विकास, डिजाइन विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम, विपणन संवर्धन कार्यक्रम, हथकरघा निर्यात उन्नयन स्कीम, मिल गेट मूल्य स्कीम आदि के लिए व्यवस्था है।

हस्तशिल्प उद्योग

5. **अन्य हस्तशिल्प योजनाएं** : इसमें की गई व्यवस्था में हस्तशिल्प विकास आयुक्त के प्रशासन कार्यालय, प्रशिक्षण और विस्तार; विभिन्न प्रमुख शिल्पों का डिजाइन और तकनीकी विकास, विपणन और सेवा विस्तार; निर्यात संवर्धन, बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प योजना और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य हस्तशिल्प विकास निगमों/अपेक्स सोसायटियों आदि को सहायता शामिल है।

6. **ऊन विकास बोर्ड** : इस योजना के अंतर्गत देश में ऊन और ऊनी उत्पादों के समग्र विकास हेतु राज्य सरकारों के संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से बोर्ड के विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं के संचालन हेतु प्रावधान प्रस्तावित है। बोर्ड की पंचवर्षीय योजना को "जीरो-बेस्ड बजटीय प्रक्रिया" के बाद आशोधित/समामेलित कर दिया गया है। अब बोर्ड की स्कीमें हैं:-(i) ऊन की गुणवत्ता में सुधार (ii) ऊन का गुणवत्ता प्रसंस्करण (iii) विशेषता वाले फाइबर का विकास (iv) संवर्धनात्मक कार्यकलाप और विपणन और (v) मानव संसाधन विकास स्कीम।

7. **केन्द्रीय रेशम बोर्ड** : इसमें संसद के अधिनियम 1948 का (LXI) द्वारा गठित केन्द्रीय रेशम बोर्ड के प्रशासन के लिए व्यवस्था की गई है। अधिनियम की धारा 8 के अनुसार बोर्ड को सौंपे गए कार्य व्यापक हैं और इनमें रेशम उत्पादन के समन्वित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उद्योग के सभी पहलू तथा इसके नियंत्रणाधीन रेशम उद्योग शामिल है। अन्य बातों के अलावा, यह बोर्ड वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान करने/सहायता देने और प्रोत्साहित करने, उच्चतर स्तरों पर विभागीय कार्मिकों को प्रशिक्षण देने और परीक्षण करने, ग्रेड निर्धारित करने, रेशम के उत्पादों का युक्तियुक्त विपणन, संख्यिकीय आंकड़े इकट्ठे करने, कच्चे रेशम की वस्तुओं आदि के आयात और निर्यात सहित रेशम उद्योग के विकास से संबंधित नीति विषयक सभी मामलों पर केन्द्र सरकार को सलाह देने के लिए उत्तरदायी है। इस व्यवस्था में केन्द्रीय रूप से प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के माध्यम से कृषि आधारित रेशम-कीटपालन उद्योग भी शामिल है, जिसका उद्देश्य मल्बरी-भिन्न द्विसंयोजक रेशम कीट-पालन वृद्धि और गुणवत्ता, उत्पादकता और एरगोनोमी का विस्तार शामिल है।

8. **अन्य रेशम उत्पादन योजनाएं** : इस व्यवस्था में रेशम और कला-रेशम मिल अनुसंधान संघ को दिए जाने वाले अनुदान शामिल हैं।

विद्युत चालित करधा उद्योग

9. **अन्य विद्युत चालित करधा योजनाएं** : यह व्यवस्था वस्त्रोद्योग अनुसंधान संघ, श्रम कल्याण और विद्युत-करघा सांकेन्द्रित क्षेत्रों के लिए आधारभूत सुविधा हेतु अनुदान के लिए है।

उपभोक्ता उद्योग

10. **कपड़े/जूट पर उपकर संग्रह के एवज में अदायगियां** : इसके अन्तर्गत वस्त्रोद्योग समिति द्वारा संग्रह किए गए उपकर में से समिति को अदायगी करने की व्यवस्था की गई है ताकि समिति निर्यात के लिए निर्धारित वस्त्रों और वस्त्र निर्माण मशीनरी निरीक्षण जहाज में लदान से पहले कर सके और इसमें जूट पर उपकर के संग्रह के एवज में जूट विनिर्माण विकास परिषद को अदायगी करने के लिए भी व्यवस्था की गई है।

11. **वस्त्र आयुक्त** : वस्त्र आयुक्त, वस्त्रोद्योग के विकास की देखभाल करता है और इसमें वस्त्रोद्योग के सभी पहलू जैसे कि लक्ष्य, उत्पादन, नई/अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस प्रदान करना, विभिन्न मिलों को कपास का आवंटन, वस्त्रों, कच्चे माल की पूर्ति और वितरण, मशीनरी का आयात, वस्त्रों का निर्यात, कीमतों की मानिटरिंग आदि शामिल है।

12. **अन्य वस्त्रोद्योग के विकास के लिए अन्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान** : इसके अन्तर्गत मुख्यतः विभिन्न वस्त्र अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों, वस्त्रोद्योग श्रमिक पुनर्वास योजना तथा वस्त्रोद्योग आधुनिकीकरण एवं तकनीकी उन्नयन तथा योजना के अनुरूप प्रौद्योगिकी उन्नयन की परियोजना पर वित्तीय संस्थान/बैंकों द्वारा प्रभारित 5% ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान देने की व्यवस्था है। वस्त्र मंत्रालय आईडीबीआई, सिडबी तथा आईएफसीआई को उनकी आवश्यकता के अनुसार निधियाँ निर्मुक्त करता है।

12.06 ***कपास प्रौद्योगिकी मिशन*** : यह कपास विकास के लिए एक मिशन है जिसका उद्देश्य अनुसंधान, कृषकों को तकनीक उपलब्ध कराना, विपणन आधारभूत ढांचे में सुधार तथा गिनिंग एवं प्रेशिंग उद्योग का आधुनिकीकरण है। इस मिशन के अंतर्गत चार लघु मिशन हैं। लघु मिशन-I और II कृषि मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे हैं और लघु मिशन-I और IV वस्त्र मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे हैं। लघु मिशन III तथा IV वस्त्र मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे हैं। लघु मिश्न III के अंतर्गत लक्षित 51 मार्केट प्रांगणों को 38.68 करोड़ रुपए के टी एम सी भाग के साथ 75.31 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर विकास हेतु स्वीकृत किया गया है। लघु मिशन IV के अंतर्गत लक्षित 150 गिनिंग तथा प्रेसिंग फैक्टरियों को 29.63 करोड़ रुपए के टी.एम.सी. भाग के साथ 173.60 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर आधुनिकीकरण हेतु स्वीकृत किया गया है। संबंधित बाजार प्रांगण और गिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्टरी को भुगतान की प्रतिपूर्ति चरण बद्ध तरीके से की जाती है। वर्ष 2002-2003 के दौरान भारत सरकार के 30 करोड़ रुपए के हिस्से के साथ 68 परियोजना प्रस्तावों की स्वीकृति की संभावना है, जिसके लिए वर्ष 2002-2003 के आयोजना-परिव्यय में 30 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है।

12.07 ***परिधान वस्त्रोद्योग पार्क योजना***: राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग नीति के उद्देश्य ये हैं :-

(I) कपड़ों के विनिर्माण और निर्यात में पूर्व-उच्च सार्वभौम स्थिति प्राप्त करने व संभाले रखने के लिए वस्त्रोद्योग उद्योग को सुविधाजनक बनाना।

(II) आयात प्रवेशन के दबाव समझने के लिए उद्यम को सज्जित करना और घरेलू बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थिति बरकरार रखना; और

(III) उद्योग को अनुरूप विश्व श्रेणी की आधुनिक विनिर्माण क्षमता बनाने में सक्षम करना।

12.08 **वस्त्रोद्योग अभिवृद्धि केन्द्रों की आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन हेतु योजना**: यह खास वस्त्रोद्योग अभिवृद्धि केन्द्रों की आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन

हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की नई योजना है। इस योजना के अंतर्गत इचलाकरंजी, ईरोड, वाराणसी, तूरुपुर, पानीपत आदि जैसे चयनित वस्त्रोद्योग समूहों को सहायता देने व उत्पाद निर्यात बढ़ाने के लिए आधारभूत ढांचे की सुविधाओं के उन्नयन हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

12.09 **मूल्य समर्थन के अधीन भारतीय कपास निगम द्वारा कपास का प्रबंधः** महाराष्ट्र के सिवाय सभी कपास उगाने वाले राज्यों में बिना किसी मात्रात्मक सीमा के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर समर्थन मूल्य परिचालन का उत्तरदायित्व लेना।

12.10 **ई.एम.डी./बी.जी की जब्त राशि के एबज में ए.ई.पी.सी. को अनुदानः** लोक लेखा समिति की सिफारिशों के अनुसार जब्त राशि का भुगतान पी.डी.ए. निधियों की बजाय उचित बजटीय प्रावधान के द्वारा किया जाएगा।

13. **जूट आयुक्त** : जूट आयुक्त भारत में जूट उद्योग के विकास और जूट मिल संबंधी मशीनरी के विकास की देखभाल करता है। वह जूट वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1956 और जूट (लाइसेसिंग और नियंत्रण) आदेश, 1961 को भी प्रशासित करता है।

14. **जूट के विकास के लिए अन्य कार्यक्रम** : इसके अन्तर्गत मुख्यतः भारतीय जूट उद्योग अनुसंधान संघ को अनुदान देने और अधिग्रहीत/ राष्ट्रीयकृत जूट कम्पनियों और राष्ट्रीय जूट विविधिकरण केन्द्र के सम्बन्ध में अदायगियां करने के लिए व्यवस्था है।

15. **जूट विकास निधि को/से अन्तरण** : इसका संबंध औद्योगिक विकास निधि विशेष जूट विकास निधि के अंतर्गत चलाए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए जमा खाते से दी जाने वाली आवश्यक धनराशि से है।

16. **स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को अनुदान** : आयोजना के अधीन प्रावधान विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु है।

नागरिक पूर्ति

17. **सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण** : इसमें मंत्रालय के तहत रुग्ण सरकारी उद्यमों को अपने कर्मचारियों को वेतन और पारिश्रमिक के भुगतान के लिए संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए बजटीय सहायता देने की व्यवस्था है। ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन और उसकी दो सहायक कंपनियों - एल्गिन मिल्स और कॉनपुर टेक्सटाइल्स के कर्मचारियों को अंतिम बकायों के निपटान और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए भी 100 करोड़ रुपए का एकमुश्त प्रावधान रखा गया है।

18. **सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश** : इसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उनकी नई और चल रही योजनाओं को पूरा करने के लिए इक्विटी और ऋण की व्यवस्था की गई है।

18.01. ***राष्ट्रीय वस्त्र निगम*** : वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम सं.39, 1995 के अधीन वर्ष 1995 में राष्ट्रीयकृत मिलों के क्षेत्रों को भुगतान।

18.05 ***राष्ट्रीय हथकरधा विकास निगम*** : राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम रसायनों और रंजकों के विनिर्माताओं के सहयोग से रंगाई और छपाई के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है। हथकरघा बुनकरों को हथकरधा फैब्रिकों की रंगाई, छपाई तथा संसाधन की अद्यतन तकनीक उपलब्ध कराई जाती है।

18.06 ***राज्य हस्तशिल्प निगम/समितियां*** : लाभभोगी संगठनों के कार्यशील पूंजी आधार को बढ़ाने की दृष्टि से विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय राज्य हस्तशिल्प विकास निगम तथा शीर्ष सहकारी समितियों को इक्विटी प्रदान करता है ताकि वे कारीगरों से सीधे ही हस्तशिल्पों की खरीद का कार्य करने तथा कच्चा माल वितरित करने में सक्षम हो सके।

19. **देश सहायता ढांचा-I के अधीन यू.एन.डी.पी सहायताः** संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) की सहायता से देश सहयोग ढांचा-I (सी.सी.एफ.-I) के तत्वाधान के अंतर्गत रेशे और हस्तशिल्प क्षेत्र में कार्यक्रम शुरु किए जाते है। इससे संबंधित परियोजना समर्थन दस्तावेज पर भारत सरकार (आर्थिक कार्य विभाग और वस्त्रोद्योग मंत्रालय) तथा यू.एन.डी.पी. के बीच दिनांक 14 अगस्त, 1998 को हस्ताक्षर किए गए। इस कार्यक्रम के अधीन शामिल किए जाने वाले क्षेत्र हैंः जूट, मल्बरी-भिन्न रेशम, अंगूरा ऊन, कालीन और बेंत तथा बांस। 4 कार्यान्वयन इकाईयां हैं केन्द्रीय रेशम बोर्ड, जूट विविधीकरण के लिए राष्ट्रीय केन्द्र, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड तथा विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)

20. **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र व सिक्किम के लाभार्थ एकमुश्त प्रावधानः** मंत्रालय के आयोजना परिव्यय के 10% को सिक्किम समाहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं के लिए रखा जा रहा है।